

अस्थायी राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पने बहुत ही सोच समझकर विदेशी मंत्री माकां रूबियोकी भारत यात्रासे ठीक पहले रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सौ प्रतिशत तक अनिश्चित टैरिफ लगानेकी घोषणा को फिलहाल टाल दिया है। इससे भारतको अवश्य राहत मिली है लेकिन इसे अस्थायी राहत ही समझना ज्यादा उपयुक्त होगा। ट्रम्प की इस घोषणाको व्यापक सन्दर्भमें देखने और समझनेकी जरूरत है। इसमें साधना भी बरतनेकी आवश्यकता है। इस फैसलेका जितना आर्थिक महत्व है, उतना ही कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यह भारतको स्थायी रूपसे १०० प्रतिशत टैरिफ से मुक्त करने वाला फैसला नहीं है। ट्रम्पने सम्बन्धित कानूनों के तहत शुल्क और प्रतिबंधोंकी फिलहाल टाला है। अर्थात् भविष्यमें परिस्थितियां बदलनेपर इन्हें पुनः लागू करनेका विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपतिके पास बना हुआ है। इसे अस्थायी राहत माननेके पीछे कारण हैं। लिट्टेसे ऊर्जम सैश्यांगिन रूस एण्ड ईरान ऐक्टके तहत रूस से बड़े पैमानेपर ऊर्जा खरीदने वाले देशोंपर १०० प्रतिशत तक टैरिफ लगानेका अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिको मिला है। भारत और चीन इसके प्रमुख निशाने पर थे। ट्रम्पने इस प्रावधानको लागू करनेसे फिलहाल रोक लगा दी है। इसलिए इस कदमको स्थान कहां अधिक उचित होगा, न कि स्थायी समाप्ति। भारतके लिए इसका सोधा अवश्य है कि सौ प्रतिशत टैरिफका खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रूबियोकी भारत यात्रासे पहले ट्रम्पका इसलिफ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूबियो १७ से २२ अक्टूबर तक भारत यात्रामें मुम्बई और जामनगर उनके महत्वपूर्ण पड़ाव हैं तथा ऊर्जा सहयोग और भारत अमेरिकी सम्बन्धोंपर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। ऐसेमें भारत टैरिफ खतरेको रोकनेसे बातचीतका वातावरण कुछ बेहतर बनेगा। भारत और अमेरिकीके बीच व्यापार सम्झौतेपर लम्बे समयसे बातचीत चल रही है। इसे गति देनेकी दिशामें ट्रम्पकी घोषणा काफी सहायक साबित हो सकती है। भारतको सौ प्रतिशत टैरिफ रोकनेसे लाभ अवश्य मिलेगा। फिलहाल बड़ा जोखिम टल गया है। ऊर्जा सुरक्षाके साथ ही रुपये और व्यापार दबावमें कमी भी आयेगी। भारतको पूरी तरह से निश्चित नहीं होना चाहिए क्योंकि टैरिफका खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भारतको आगेके लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। इस दृष्टिसे भारतको राहत, अवसर और सावधानी तीनोंपर ध्यान देना होगा। भारतकी कूटनीतिकी अली परीक्षा भविष्यमें होगी।

प्रशासनिक विफलता

यह अत्यन्त दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है कि शाहीदीय नौरात्रिकी अष्टमीको पूर्व संध्यापर पश्चिम बंगालके एक सर्वजनिक दुर्गा पूजा कालमें मंची भगवद्भट्टमें १९ श्रद्धालुओंकी चार चली गयीं। कोलकाताके चौबान्गामें शुण्ड पंडालोंमें शनिवारकी भगवद्भट्ट मचने से १९ लोगोंकी मौत हो गयी और २५ लोग घायल हो गये। इनमें एक की हालत गम्भीर बतायी जा रही है। मृतकोंमें चार पुरुष, ३ महिलाएँ और दो बच्चे शामिल हैं। घायलोंकी एसएसकेएम अस्पताल रेफर किया गया है। इस हादसेके स्वर्थमें पुलिसने आयोजक समेत १४ लोगोंको हिरासतमें लिया है। यह हादसा व्यवस्थामें चूक और जिला प्रशासनकी विफलताका परिणाम है। हादसेके दौरान पंडालमें अपेरा था, बाहर निकलनेके रास्ते सेकरो थे और बारिशके कारण भीड़ और भी बढ़ गयी थी। सम्मतीपर्व में दर्शनके लिए पहले से ही बड़ी संख्यामें श्रद्धालु पहुंचे थे। बारिशसे बचनेके लिए लोग पंडालके अन्दर जमा होने लगे। भीड़का दबाव बढ़नेसे बाहर निकलनेके दरवाजेका एक हिस्सा टूट गया और सुरक्षाकर्मी ने लोगोंसे पंडालसे बाहर निकलनेका आनाउंस कर दिया जिससे भगवद्भट्ट मंच गयी। लोग एक दूसरेपर गिरे-पड़ेते निकलने लगे जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। खास बात यह है कि इस दर्दनाक हादसेको दो दिन पहले ही इस पंडालकी परिचम बंगाल सरकारने 'देवी वोट' सम्मान २०२६ से सम्मानित किया था। इसे 'बेस्ट देवी वोट' कैटेगरीमें चुना गया था। हादसेके बाद पूजा अनिश्चित कालके लिए रोक दी गयी। इस घटनापर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक संतप्त प्रतिक्रियाके प्रति गहन संवेदन व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकोंके परिवजनोंको दो लाख रुपये और घायलोंको ५०-५० हजार रुपये देनेकी घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शोभेनु अधिकारीने बंगाल सरकार की ओर से जान गंवाने वाले प्रत्येक के ख्वजन को २५-२५ लाख रुपये और परिवारोंके एक व्यक्तिको नौकरी देनेका ऐलान किया है। इस दौरान हादसेको लेकर राजनीति भी शुरू हो गयी है जो उचित नहीं है। हर मामलेको राजनीतिके चरमसे नहीं देखा जा सकता है।

लोक संवाद

रातमें धरतीपर आयेगी सूर्यकी रोशनी

महोदय, -कल्पना कीर्णक कि रातके घने अधोमे भी धरातों किसी हास-हस्येपर सृजकी रोशनी पहुंचाया जा सके। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल इसी विचारको हकीकतमें ब्यक्तनीकी तैयारी कर रही है। कंपनी अंतरिक्षमें विशाल दूरणीसे लैस उपग्रह चलावने कर मांगके अनुसार धरातीपर रोशनी पहुंचाना चाहती है। इसके लिए उसने भारतकी निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईस्ट्र एयरोस्पेसके साथ समझौता किया है। समझौतेके तहत कंपनीके दो उपग्रह स्काईस्ट्रके प्रक्षेपण यानोंके जरिये अंतरिक्षमें भेजे जायेंगे। पहला उपग्रह विक्रम-१ रॉकेटसे और दूसरा निर्माणाधीन विक्रम-१ यू प्रक्षेपण यानसे भेजनेकी योजना है। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ऐसे उपग्रहोंका समूह तैयार कर रही है, जिनके दण्डे प्रक्षेपकी रोशनीको परावर्तित करके धरातीके चुने हुए हिस्सोंको पहुंचा सके। कंपनीका लक्ष्य एक समयमें लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्रमें जरूरतके मुताबिक रोशनी उपलब्ध कराना है। कंपनीके अनुसार इस रोशनीकी तीव्रता घटाया-बढ़ाया जा सकेगी और आवश्यकता नहीं होनेपर इसे बंद भी किया जा सकेगा। इस तकनीकका आवेष्टकता अहदा प्रभावित क्षेत्रोंमें रातके समय खोज और बचाव अधिधान चलाने, दूरदराजके औद्योगिक इलाकोंमें कामकाज जारी रखने तथा महत्वपूर्ण स्थलोंको रक्षण करनेके लिए किया जा सकता है। कंपनीका दावा है कि इससे सौर ऊर्जा संयंत्रोंमें बिजली उत्पादनकी अवधि बढ़ानेके संभावनाएं भी खुल सकती हैं। हैदराबाद स्थित स्काईस्ट्र एयरोस्पेसके साथ हुए समझौतेके तहत दो अलग-अलग प्रक्षेपण यानोंका इस्तेमाल किया जायगा। विक्रम-१यू में पहले चरणके अतिरिक्त बृहत्तर लगाये गये हैं और इसकी क्षमता पहलेसे बेहतर बनायी गयी है। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलने अपने बयानोंमें कहा कि अमेरिकामें पहलेसे तब अन्य प्रक्षेपण अधिधानोंके साथ ये दोनों प्रक्षेपण उसे निर्धारित समयसीमामें काम करने और अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करानेमें मदद करे। स्काईस्ट्रके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकमपर इस प्रौद्योगिकीको लेकर उद्दह जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी अंतरिक्ष साझेदारीके अगुटे इस्तेमालसे धरातीपर नयी संभावनाएं खोलनेके प्रयासमें रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलका साथ देनेके लिए उत्साहित है। कंपनीको जुलाईमें अमेरिकी संघीय संसार आयोगसे एक प्रोटोटाइप उपग्रह बनाने, उसे अंतरिक्षमें भेजने और संचालित करनेकी मंजूरी मिली थी। कंपनीके सह-स्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने नौवाकके अनुसार अंतरिक्ष यानके संचालनके लिए भी लाइसेंस मिल चुका है। अंतरिक्षसे धरातीपर सूर्यकी रोशनी पहुंचानेका विचार नया नहीं है। वर्ष १९९३ में रूसी वैज्ञानिकों के इंजीनियरोंने अंतरिक्षकी कक्षामें लगभग ६५ फुट जलदा दण्ड स्थानिक कर धरातीपर सूर्यकी रोशनीको एक किरण पहुंचाया थी। ज्ञानपाया नामका यह प्रयोग सफल रहा था, लेकिन धनकी कमीके कारण इसे और नहीं बढ़ाया जा सका। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलकी योजनाको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कई पश्चाद्वरण संघटनोंने एकसीसेसे प्रोटोटाइप उपग्रहको दी गयी मंजूरी रद्द करनेकी मांग की है। पश्चाद्वरणविदोंकी चिन्ता है कि रातके समय अंतरिक्षसे आने वाली कृत्रिम रोशनी वन्यजीवोंके प्राकृतिक व्यवहार और जीवनचक्रको प्रभावित कर सकती है। इससे खगोलीय अध्ययनोंमें बाधा आए और मनुष्योंकी प्राकृतिक जैविक चपटपर दस पर पड़नेकी आशंका भी जतायी गयी है। -आर.पी. सिंह, वाया इम्पेल।

न्या यथालिका वह संवैधानिक संस्था है, जिससे नागरिक सह अपेक्षा करता है कि वह राजनीतिक आग्रहों, सामाजिक दबावों और सत्ता के प्रभावसे मुक्त रहकर न्यायका मार्ग प्रशस्त करेगा। आज आरक्षणको पात्रता और धर्मांतरणसे जुड़े विवादोंसे लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तथा न्यायालयकी गरिमातक, अनेक स्थल इसी अपेक्षाकी कसीटी बनकर सामने हैं। इन प्रश्नोंपर विचार करते समय आवश्यक है कि हम न किसी राजनीतिक पक्षके प्रचारक बनें, न किसी धार्मिक समुदायके प्रति पूर्वाग्रह रखें, बल्कि संविधानकी भावना और न्यायके लक्ष्य व्यापक उद्देश्यको केन्द्रमें रखें। अनुसूचित जातियोंके लिए आरक्षण भारतीय संविधानकी उन ऐतिहासिक व्यवस्थाओंमें है, जिनका उद्देश्य सदस्यों के चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार, अपस्थयता और भेदभावके दुष्परिणामोंको दूर करना है। यह केवल गेजान्तर, अस्थायी शिक्षा में कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करानेकी व्यवस्था नहीं, बल्कि उस सामाजिक अन्यायके विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप है, जिसने बड़ी आबादीको लम्बे समयतक समान अवसरसे वंचित रखा। इसलिए आरक्षण और धर्मांतरणके संबंधमें होने वाली बहसको भावनाओं, धार्मिक आग्रहों अथवा राजनीतिक आरोपोंके बजाय संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के आधारपर समझना चाहिए।

सुप्रम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना एक व्यागत योग्य कदम है कि धर्मानुसृत काफ़ी (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों द्वारा स्वयंसेवक बनकर अर्थोपार्जन करने और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा अर्थोपार्जन करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण से वंचित करने का फैसला किया गया है। इस उच्च न्यायालय में चुनौती देना और अपने गत्यर्थ में इस प्रकाश की सुविधा जारी रखना कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे। वास्तव में सनातन संस्कृति के आरक्षित वर्गों के हितों को कमजोर करने वाला है। धर्मानुसृत को परोक्ष रूपसे बढ़ावा देने वाला कदम था। यह विचित्रता ही है कि एक तरफ़ कुल धर्मनिरपेक्ष यह दावा करते हैं कि उनके श्रेष्ठ जातिगत भेदभावका अस्तित्व नहीं है, वहाँ दूसरी ओर वे एससी और ओबीसी वर्गों के लोगों को अपने पंथ में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलने को पुरजोर ख़ालत करते हैं। इस प्रकार के दोहरे लाभ और प्रलोभनों के कारण न केवल धर्मानुसृत प्रवृत्ति को प्रवृत्ति मिलता है, बल्कि हिन्दू समाज-साथ अल्पसंख्यक दर्जे के लोगों को भी अनुचित धर्मानुसृत लोग आरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यक दर्जे के लोगों को भी अनुचित

शा रदीय नवरात्र में हर परिवार अपनी बेटों में मानसिक मजबूती, वै चेतना, आत्मसाधना का भाव और शरीर-मलतक की समग्र पैदा आधुनिकता और प्रगतिशीलता के अर्थ विवेकपूर्ण सोच तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रसन्न रहना है। हमारे घरों में बेटियों को शारीरिक/मानसिक ज्ञाता है। मां आदिशिक्षिका ही रूप माना जाता है। देवी का मान दिया जाता है। आस्थिका वृं मानवीय धरातल पर जुड़ा होना सुखद है, परन्तु बेटियों को मां जुड़े प्रेरणादायी यष्टुओं से मिलवना भी जरूरी है। मौजूदा बेटों में मार्शात्किक अचनक की सार्थकता यही है कि मां के पौराणिक चरित्र से बेटियां प्रेरणा लें उससे धर्मीक लाक्षणिकता में मनको सशक्त और मस्तिष्क को सार्थक दिशा देनेकी योजना जरूरी है। यह कुटुंब सच है कि बर्बर आपराधिक घटनाओं से लेकर रिश्वत-दूतनकी नकारात्मक सोचनाओं तक बेटियोंकी भागीदारी भी दिखने लगी है। दिशाहीनता पूरे समाजको चकित करने वाली है। हर परिवारको चिंतित कर शिष्टिष्ठ, ऊर्जावान युवतियां भी कहीं स्वयं दिशाहीन हो रही हैं तो कहीं बहकाने में अकन नकारात्मक भाव पकड़ रही हैं। मौसमी साधना का यह बेटियोंकी अपनी चेतनाको जागृत करे है। आस्थाने मानवता का हम है न बेटियोंको समग्र संसारकी पालक मां भगवती के गुणों से मिलवायें। शक्तिस्मय हूए भी विश्वास नहीं सुननाका मार्ग चुनने वाली मां आदिशिक्षिसे जुड़ी हर बाजीवन, परिवार या समग्र परिवेश आत्मशिक्षि से बलपर सब कुछ सहजनी है जो है।

आदिशार्ङ्गिक के हर रूपकी गाथा और गुण भवानामक परास्तर पर साजक बात पढ़ते हैं। आस्थाके भाव संग अनेकानेकी शक्ति साधनेके उसमयीय वि-
बहलवनेसे बचनेका संदेश देते हैं। अपने दिल होना वाले वाक्य बताते हैं कि बिना
हर तरहके भ्रमनाशसे बचनेकी सीख देना आवश्यक है। ऐसेमें किसी भी
शोषणके जालमें न फँसनेकी सजगताका धार पूरा परिवार पढ़ाये। मनकी चेतावा-
नाइ इन दिनों आदिशार्ङ्गिकों अपनाकर करकेके साथ ही अपनी बचनेकी सज-
गता, सामयिक घटनाओंपर बात हो। देशकी बेटियोंकी उल्लाखियोंकी चर्चा की
सर्धक संवादके माध्यमसे बेटियोंको मूल दुर्गाके उस रूपसे मिलवाये जो भारतीय
चेतातमय स्वस्फुका प्रतीक है। जो अमहाशय, बालिक मानाशार्ङ्गिकके रूपमें जो
भूमिकामें पूजनीय है। स्वयंकी करीब साधना होना कि भवानामक रूपसे
बनकर ही परकी लाडलियाँ मानमर्दन और शोषणके खेलकी समथ रहते पहचन-
हैं। बुरायाकी प्रतिक का सक्ती है। अपने बिरुद्ध होने वाले हर अचानककी
आवाज बुलंद करनेका बल जुटा सक्ती है। चपचपसे ही अन्याय और अ-
प्रतिकार करनेकी सजगता संग पाती हैं। हर तरहकी दिशाहीनतासे बचकर अपने
और स्थापनामकी शक बचनेके लिए मनकी मजबूती खसमे अहम है।

□ विश्वनाथ सचदेव

प डिम कोलकाता की राजधानी कोलकाता के मुस्लिम बहुल क्षेत्र का नाम है। अंग्रेजी में लॉरेन स्ट्रीट। मुस्लिम बहुल इलाकों में सालों से पांचा पूजा की तैयारी इसी जोश-खोशियों के साथ होती थी। फिर मनुष्यता को कुछ घटनाएँ हुईं और पूजा का यह क्रम टूट गया था। पाँच साल पहले फिर शुरू हो गया और अब यह जोश साल-दर-साल बढ़ता ही दिख रहा है। विशेषता यह भी है कि तैयारियों में आगे बढ़कर हाथ बढ़ते बंटे बंटे वालों में ज्यादातर युवा मुसलमान हैं। यहां पूजा पूरे विश्व-विधामें होती है और हिन्दू-मुसलमान मिलकर करते हैं। साला संस्कृतिका नये कवये कोलकाताके इसी मोहल्ले में रही दिखा पाए। आस-पासके इसास कोलकाता के नये कवये यह परम्परा चली आ रही है। दुर्गापूजाके अवसरपर पूरे बंगालमें ऐसे दृश्य दिख जाते हैं। हलदिया में मां दुर्गाकी प्रतिमा बनाने वालों में मुस्लिम कारीगर सबसे आगे हैं और यह काम पूरे ब्रह्मके साथ होता है। हिन्दू-पड़ोसियोंके साथ मिल-जुलकर अल्पना साजो मुरसिम महिलात दिख जाले तो एक आम बन है। मुर्शिदाबादमें तो मां दुर्गाकी पूजाकी शुरुआत ही मुस्लिम परिवारोंके चढ़ावेसे होती है।

अस्सी प्रतिशत और बीस प्रतिशतकी राजनीतिक माहौलमें, जहां पहने हुए कपड़ोंके आधारपर व्यक्ति को पहचाननेकी बातें की जाती हैं, वहां भाजियारोंके इस तरहके दृश्य सुख देने वाले हैं। देशके अलग-अलग हिस्सोंमें इस तरहके दृश्य, यह कहना कि आश्चर्य की बात नहीं है। हां, कम जरूर दिखते हैं अब ऐसे दृश्य, पतनु यह कम भी बड़ा आश्वासन देने वाला है। बहुधर्मी देश है हमारा। शास्त्र ही दुनियाका कोई और देश होगा, जहां सभी धर्मोंकी मानने वाले लोग सदियोंसे

दोहन करने लगते हैं। हालाँकि विभिन्न राज्य सरकारों छल-कपटसे होने वाले धर्मांतरणके विरुद्ध कड़े कानून बना रही हैं, फिर भी यह समस्या थमनेका नाम नहीं ले रही है, जिसका प्रमुख कारण धार्मिक स्वतंत्रताके नामपर हो रहा इसका दुरुपयोग है। अब समय आ गया है कि इस गम्भीर विषयपर केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर जोस और प्रभावी कदम उठायें, ताकि इस दुरुपयोगको रोका जा सके।

जुझे व्यापक संवर्धनात्मक परिप्रेक्ष्यमें सर्वोच्च न्यायपालिका चुनावों प्रक्रियासे इसे विवादोंपर हस्तक्षेप नहीं देखेखनीय है। १९२ अक्टूबर २०२६ को रहलु गणतन्त्र सहित विवादोंका गठबंधन 'ईडीएन' के नेताओंमें मतदाता सुविधायें के विषय गहन पुनरीक्षण (एसआरआर) को लेकर सर्वोच्च न्यायपालिका और मार्च किया, इसपर सुप्रीम कोर्टका सवाल रखा था। सहस्रहोने हैं। भले हो विषय ने मतदाता सुचीमें कथित अनविषयमताओं, मतदाताओंसे नाम हटये जाने और निर्वाचन प्रक्रियाको पाददंतिपर सवाल उठाये, इन आरोपोंको सत्यताका विधारण न्यायिक पंथशर आरंभ संवर्धन अभिलेखोंके आधारपर होना चाहिए। लोकतंत्रमें चुनाव केवल संसारक सुवर्धनात्मक माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिकोंके अनुवां राजनीतिक

आज देशको ऐसा न्यायिक सक्रियताकी आवश्यकता है, जो अन्यायक सामने अधिकार क्षेत्रके प्रति सजग भी रहे, नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करे, लेकिन राजन रहे, जो संवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा बनाये रखे, लेकिन उनकी जवाबदेहीको भी विश्वास है, जो नागरिकको यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज सुनी जायगी, उसके अ होगा और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था भी कानूनसे ऊपर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्टकी उसका प्रत्येक निर्णय राजनीतिक शोरसे ऊपर विवेक और विधिक निष्पक्षताका उदा

इच्छा व्यक्त करनेका संवैधानिक अवसर है। इसलिए मतदाता सूचीकी शुद्धता और विश्वसनीयता किसी एक दलका नहीं, पूरे लोकतंत्रका प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्टतक मार्च करना एक गलत परम्पराका सूत्रपात है।

२५ अनुसूचकों समीक्षा न्यायालयन विषयों तथाओं कायिकारण निगान
आयोग, मुख्य निगान आयुक्त जगेश्वर तथा निगान आयुक्त सुखबीर सिंह
संघ और विवेक जगेश्वर जगान जगान। इससे यह निगान है कि निगान निगान
जैसी महत्वपूर्ण संविधानिक संस्थान निगान पी न्यायिक समीक्षाके दायरेमें है
नहीं है। आयोग का स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि उसके प्रत्येक निगानों प्रसनों
पर मान लिये जाय। इसी प्रकार किसी निगान असेहत निगान अपनं यह
प्रमाणित नहीं करती कि आयोगने अनुचित काय किया है। न्यायिक समीक्षाका
उद्देश्य आरोपों और तथ्योंके बीच अंतर स्पष्ट करना, निगान प्रक्रियाके वैधानिकता
जांचना तथा नागरिकोंके अधिकारोंका रक्षा करना है। इसी घटनाक्रममें सर्वोच्च
न्यायालयने २२ अनुसूचकके माचोंके लेकर राहुल गांधी, अखिलेश्वर यादव और

अन्य संशोधित नेताओं की ज़बज मांग। न्यायालयको चिन्ता यह थी कि राजनीतिक प्रदर्शनों के माध्यम से न्यायापालिका पर दबाव बनानेकी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंगात् मुल्यांकन के लिए समय यह समझना आवश्यक है कि शार्तिपूर्ण विरोध, राजनीतिक असहमति और न्यायालयको गरिमा-तौर्ने लोचनके महत्वपूर्ण पक्ष हैं। विपक्षको सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रश्न पोजनका अधिकार है, लेकिन न्यायिक स्थंथाओंकी स्वतंत्रताका सम्मान करना भी उसको संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, न्यायालयको गरिमाकी रक्षाके नामपर वैध अलोचना और शार्तिपूर्ण असहमति के अधिकारको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। नौट्टर जारी होना किसको दोषी पोषित करना नहीं, बल्कि उसका पक्ष जाननेकी न्यायिक प्रक्रियाका हिस्सा है।

यहाँ वह बिन्दु है जहाँ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयमक बीच संतुलनका प्रश्न सामने आता है। यदि न्यायपालिका सामाजिक अन्याय, प्रशासनिक मनमानी अथवा संवैधानिक अधिकारोंके उल्लंघनपर मौन रहे तो आम नागरिकका न्याय व्यवस्थासे विश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि न्यायपालिका प्रत्येक राजनीतिक विवादमें स्वयंको निर्णायक नीति-निर्माताकी भूमिकामें रखे तो

सामने निर्भीक हो, लेकिन अपने राजनीतिक आग्रहोंसे अप्रभावित न बने। लोकतंत्र को संस्थागत करने को भी सुनिश्चित करे। न्याय वह शक्ति है जो अंधाधुंध अत्याचारों के समक्ष अधिकारों का निष्पक्ष परीक्षण करती है। शक्ति तभी सिद्ध होगी, जब वह अंधाधुंध अत्याचारों का उद्धारण बने।

यह सुनिश्चित करती है कि कानून तथा उनका क्रियान्वयन संविधानकी सामंजस्य और भीतर हैं। इन तीनोंके बीच स्वस्थ संतुलन ही लोकतांत्रिक प्रणालीका आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालयकी प्रसिद्ध उसके आदेशोंकी कोयलसे अधिक उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तर्कपूर्ण निर्णयोंसे निमित्त होती है। आज देशको ऐसी न्यायिक सक्रियताकी आवश्यकता है, जो अन्यायके सामने निर्भीक हो, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्रके प्रति सजग भी रहे, जो नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करे, लेकिन राजनैतिक आग्रहोंसे अप्रभावित रहे, जो संवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा बनाये रहे, लेकिन उनको जबाबदेही भी सुनिश्चित करे। न्याय वह विश्वास है, जो नागरिकको यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज सुनी जायगी, उसके अधिकारोंका निष्पक्ष परीक्षण होगा और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था भी कानूनसे ऊपर नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालयकी वास्तविक शक्ति तथा सिद्ध होगी, जब उसका प्रत्येक निर्णय राजनैतिक शोसे ऊपर उठकर संवैधानिक विवेक, सामाजिक संवेदनशीलता और विधिक निष्पक्षता उदाहरण बने।

आत्मबोध

जीवनका आधार

❑ जग्गी वासुदेव

जी वनके रहतासे पहलुमें जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापा हैं। प्रेम, कोमलता, मिठाई और कड़वाहट भी है। समकालीकी खुशी है, कुछ पापका संगीत है, दर्द भी है और आनन्द भी यदि आपने अपने मनको बोधके एक ठीक स्तरपर रखा है तो ये सब बातें आपको समझमें आ सकती हैं। पुराने जीवनकी समझना एकदम ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मूल्य, वह किसी भी मनुष्य के पलटने के बाहर है चाहे आप अपने आपको किनाता बुद्धिमत्ता, होशियार या बड़ा बुद्धिजो मानें हों। क्योंकि हम ज़िन्दगी नहीं, मरने वाले हैं, इसीलिए जीवन उस तरहसे खल रहने है जैसा वह खल रहा है। यदि हम मरने वाले नहीं होते तो एक सचपन होता, न जवानी और न बुढ़ापा। तब हम ये सवाली भी न उठ पाते कि जन्म क्या होता है। मूल्य जीवनका आधार है। यदि आपने मूल्य नहीं समझते तो आपी जीवनको नहीं जान सकेंगे, न ही उसे संभाल पायेंगे क्योंकि जीवन और मूल्य साँसे लेने और छोड़नेकी तरह हैं। ये बिना अलग हुए साथ-साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रखिता भी शुरु होती है जब आप मूल्यको समाना करते हैं या तो पहलसे या फिर किसी ऐसे व्यक्तिको जो आपको प्रिय है और जिसके बिना निनेकी बात आप नहीं सोच सकते। जब मूल्य आ रही हो या हा गयी हो, तब ही अक्षरत लोगोमें हममें ये सवाल आता है, ये सच क्या है और इसके बाद क्या होगा। जबकि केवल जीवन ही ये सच लाता है जबकि आपको वह विश्वास नहीं होता कि ये बस ऐसे ही खत्म होते वाला है। मूल्य पुराना आप बताते हैं, तभी मन ये सोचना शुरू करता है कि कुछ और भी है, जो आपसे ज्यादा है। परन्तु मन नहीं कहियता भी सोच ले, ये वास्तवमें जलता कुछ नहीं है क्योंकि मन सिर्फ उसी डेटाके आधारपर काम करता है जो वो पहलेसे इकट्ठा कर चुका है। मनुष्य मूल्यसे सकोई वास्तु नहीं पढ़ा है तो वह मूल्यके बारेमें नहीं जानता, क्योंकि इसके पाप उसके बारेमें कोई आधारभूत जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ गण्यवाजी है। आपने ऐसे गप्पें सुनी होगी कि कैसे जब आप मर जायेंगे तो आप जानकर भावनाकी गोदमें बैठेंगे यदि ऐसा है तो आज ही मर जाना चाहिए। आपने स्वर्ग और नरकके बारेमें सुना होगा। मरने की पक्की जानकारी नहीं है। ये सोचनेमें समय बर्बाद मत कीजिए कि मूल्यके बाद क्या होगा, क्योंकि वह आपके मनकी सीमाके बाहरको बात है। जानकार एक ही रीति है और वह प्रज्ञाको जारुदस्त है, जैसा हम इसे भारतीय भाषाओंमें कहते हैं यानी कि मारुदस्त है।

बहुधर्मी भारतमें साझा संस्कृतिकी खूबसूरती

एक सप्ताह रहते आये हैं और इस साथ-साथका मलबा कोलकाताका मुस्लिम बाजार इलाका, अलीमुद्दीन स्ट्रीट, समझा रहा है। लेकिन हकीकात यह भी है कि धार्मिक भावचारों के यह गंगा-जमुनी परम्परा अक्सर टूटती भी दिख जाती है। कष्ट होता है यह देखकर। सारे देशमें मनाया जाता है दुर्गापूजा यह त्योहार। पूरे दश दिनका गश्त कार्यक्रमांकी धुम रहती है। कोलकाताकी अलीमुद्दीन स्ट्रीट जैसे दृश्य देखकर दूसरे महानगर, मुंबईमें भी दिख जाते हैं। सभी धर्मोंके मानने वालोंका गश्तमें हिस्सा लेना एक सामान्य बात थी। पचास साल पहले जहाँ मैं मुंबई आया था तो पहली बार मैंने गश्तका एक शानदार कार्यक्रममें हिस्सा लिया था। आजोइन देशके वालोंमें तो मुस्लिमलगांकी भी देखा था। किसिके आने-जानेपर प्रिबंध नहीं था। परन्तु पिछले एक अरबमें इस परम्परामें भी बदलाव आया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि गैर-हिन्दुओंको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। देशके एक वरिष्ठ जगतनेता तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि संप्रदाय विशेषके लोगोंका गश्तमें भाग लेना है तो उन्हें घर-वापसी करना होगा। ऐसे समाजज्ञ-धार्मिक कार्यक्रममें असामाजिक तत्वोंका सुपरैजको रोकावकी बात तो समझ आती है, परन्तु यह कहना कहांतक उचित है कि गैर-हिन्दु ही असामाजिक तत्व हैं और फिर इस बाकावात या तुक है कि घर-वापसी करने वाला असामाजिक तत्व नहीं रहेगा। आवश्यकता इस बीमार सोचको बदलनेकी है कि धर्मके अधारपर व्यक्तिकी नीयतको समझा जा सकता हो।

धर्मके आधारपर व्यक्तिको अच्छा-बुरा इंसान मानने-बनानेकी मानसिकताको बदलनेकी आवश्यकता है। बरसों पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें एक बच्चेको गाना सुनाकर यह बताया जा रहा था कि उसकी सही पहचान उसका इंसान होना ही है-तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा। इंसानकी औलाद

है, ईसान बनेगा। यह ईसान होना ही व्यक्ति की सच्ची और पहली पहचान है। कोई भी व्यक्ति हिन्दू या मुसलमान होनेसे पहले कुछ तो था। इस कुछको समझनेकी आवश्यकता है। यही कुछ व्यक्तिके ईसान होनेकी पहचान है। आज आवश्यकता इस पहचानको बनाये रखनेकी है-मंदिर-मस्जिद तो बादके हैं/हम उससे पहले भी तो थे/हम उससे पहले जो भी थे/उस सचको जिन्दा रखना है।

आज इस 'सच' को समझनेकी आवश्यकता है-यह सच हमें बताता है कि हमारा हिन्दू या मुसलमान होना अथवा सिख या ईसाई होना, एक संयोग मात्र है। मेरा जन्म जिस परिवारमें हुआ, अब हमें भयंका आधार बन जाता है, परन्तु व्यक्तििक ईसान होने और ईसान बन रहनेकी कोशिश करनी पड़ती है। जब कोई मुसलमान पूरी निष्ठा और आस्थाके साथ मा दुगंकी मूर्ति बनाता है तो वह अपने ईसान होनेका प्रमाण दे रहा होता है और यही बात उस हिंदू मांर भी लागू होती है, जो अपने पतेको ताजिके जलुमें ले जाकर उसकी बेहरीती की बात कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके सरसंचालक मोहन भागवतने कुछ अंसे पहले न्यायिक एक सम्मेलनमें कहा था कि हिन्दू यह मानता है कि मुसलमानांको भूतारके बाहर निकाल देना चाहिए, यह हिन्दू ने रह सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि हिन्दू शब्दको एक विशेष भाषा, पूजा-पद्धति या जीवनशैलीतक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें ईसानांकी तमाम विविधाएं शामिल हैं। यह विविधताका समान होना चाहिए। यह विविधा ईसानांकी ताकत है। मोहन भागवतकी किसी बातसे आप असहमत हो सकते हैं, परन्तु उनकी यह बात सोचनेके लिए बाध्य करने वाली है कि भारतमें जिनसे लेना चाह व्यक्ति हिन्दू है। यह हिन्दूकी भारतीय कहक हम अनावश्यक विचारोंसे बच सकते हैं। हमें इस बातपर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुमूर्ति है।